न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :—13/2021

तारीख रजू :— 07.07.2015

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह

R.A.S.

1. गिरधारी — पिसरान परसराम
2. भगवानसिंह
3. छगनलाल
4. विजयसिंह
5. प्रेमवती — पुत्रियॉं परसराम
6. कमलेश
7. पुष्पादेवी
8. सम्पोदेवी बेबा परसराम
9. हुकमचन्द — पिसरान पप्पू
10. भगवत उर्फ भगवान

सभी जाति धाकड निवासी झन्डीवाली कोठी, हिण्डौन जिला करौली—प्रार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ————————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितः— श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :— 08.09.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.61 है0, 2467 रकबा 0.65 है0, 2468 रकबा 0.70 है0, 2480 रकबा 0.85 है0, 2481 रकबा 0.05 है0, 2482 रकबा 0.33 है0, 2483 रकबा 0.33 है0, 2488 रकबा 0.53 है0, 2489 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीगण सं01 लगायत 8 के पिता व पति परसराम व प्रार्थी नं09 हुकमसिंह व प्रार्थी नं0 10 भगवत उर्फ भगवान के नाम दर्ज है यानि तीनों भाई उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में ... है कि प्रार्थी सं01 लगायत 8 के पिता व पति परसराम का स्वर्गवास करीब ... साल पूर्व हो चुका है। मृतक परसराम के प्रार्थी नं01 लगायत 8 जायज ... व कायम मुकाम ... है तथा मृतक के हिस्से पर काबिज हैं इस कार... प्रार्थी सं01 लगायत 8 ... प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बनाया गया है और उनके हक में दिनांक 01.09.2014 को जब यह नामान्तकरण 4949 के जरिये नामान्तकरण तस्दीक हो चुका है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी सं010 का वास्तविक नाम भगवत पुत्र पप्पू है। विधान सभा की वोटर लिस्ट व परिचय पत्र तथा राशन कार्ड भी भगवत पुत्र पप्पू के नाम है एवं शुरू से रहे हैं मगर रेवन्यू अधिकारियों की गलती से या भूल से प्रार्थी नं010 भगवत के स्थान पर रेवन्यू कागजात में गलती से भगवान दर्ज कर दिया है। रेवन्यू अधिकारियों की उक्त गलती का प्रार्थी नं010 को कोई पता नहीं चला क्योंकि प्रार्थी नं010 वयोवृद्ध व अनपढ एवं विकलांग व्यक्ति है तथा प्रार्थी सं010 के विकलांग सर्टिफिकेट में भी भगवत ही नाम दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थी सं01 लगायत 8 व प्रार्थी नं0 9 जो सहखातेदार हैं कि भी प्रार्थी नं010 भगवान के नाम को हजफ कर भगवत दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थी नं010 को अपने गलत नाम का सर्वप्रथम अपनी जमाबन्दी की नकल 02.07.2015 को लेने पर इल्म हुआ जब प्रार्थी ने जमाबन्दी की नकल लेकर वकील साहब को दिखाई। तब वकील साहब द्वारा बताने पर सर्वप्रथम इल्म दिनांक 02.07.2015 को हुआ। इससे पर्व प्रार्थी नं01 को अपने गलत नाम भगवत के स्थान पर भगवान दर्ज होने का कोई इल्म किसी प्रकार से नहीं हो सका था। इस कारण प्रार्थना पत्र इल्म से अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 758 के खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.61 है0, 2467 रकबा 0.65 है0, 2468 रकबा 0.70 है0, 2480 रकबा 0.85 है0, 2481 रकबा 0.05 है0, 2482 रकबा 0.33 है0, 2483 रकबा 0.33 है0, 2488 रकबा 0.53 है0, 2489 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी में संशोधन किया जाकर दर्ज नाम भगवान को हटाया जाकर उसके स्थान पर भगवत संशोधित किया जावे तथा उक्त संशोधन किये जाने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी कर आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम हिण्डौन के राजस्व अभिलेखों में दर्ज खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.61 है0, 2467 रकबा 0.65 है0, 2468 रकबा 0.70 है0, 2480 रकबा 0.85 है0, 2481 रकबा 0.05 है0, 2482 रकबा 0.33 है0, 2483 रकबा 0.33 है0, 2488 रकबा 0.53 है0, 2489 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन पर वादी सं01 का दर्ज भगवान पुत्र पप्पू अंकन एवं भगवत पुत्र पप्पू अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है और वादी साक्ष्य सबूत के आधार पर उक्त तथ्य को सिद्ध करता है तो उपरोक्तानुसार [illegible] के हिस्से तक नाम संशोधन में आपत्ति नहीं हैं।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में [illegible] जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कमांक एफटीपी/1362821 भगवत पुत्र पप्पू निवासी 123 झण्डी वाली कोठी वार्ड नं04 हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 597482601565 भगवत पुत्र पप्पू निवासी झण्डी वाली कोठी वार्ड नं012 हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 133/9 भगवतलाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पप्पूराम निवासी धाकड नगर झण्डी वाली कोठी हिण्डौन, फोटो प्रति विकलांग प्रमाण पत्र संख्या 6383 दिनांक 17.08.1999 भगवत लाल पुत्र पप्पू , फोटो प्रति सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति आदेश कंमाक आरजे–एस–03855742 दिनांक 03.06.2013 भगवत पुत्र पप्पू निवासी झण्डी वाली कोठी वार्ड नं012 हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति बैंक पासबुक यूनियन बैंक शाखा हिण्डौन खाता संख्या 684602010001198 भगवत लाल धाकड पुत्र पप्पूराम धाकड , फोटो प्रति भामाशाह कार्ड संख्या 9999एन 2डीजी00033 में भगवत पुत्र पप्पूराम , फोटो प्रति गैस कनैक्शन संख्या पीजी06469 भगवत सिंह पुत्र पप्पू धाकड निवासी रेल्वे लाईन के पास हिण्डौन सिटी,पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.61 है0, 2467 रकबा 0.65 है0, 2468 रकबा 0.70 है0, 2480 रकबा 0.85 है0, 2481 रकबा 0.05 है0, 2482 रकबा 0.33 है0, 2483 रकबा 0.33 है0, 2488 रकबा 0.53 है0, 2489 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी परसराम हुकमचन्द भगवान पि0 पप्पू हि0ब0 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार हुकमचन्द हि01/3 राहिन बी.ओ.बी. शाखा हिण्डौन मुर्तहिन दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 4949 नि0दि0 01.09.2014 विरासत से परसराम पुत्र पप्पू हि01/3 जाति धाकड के बजाय गिरधारीलाल भगवानसिंह छगनसिंह विजयसिंह पि0 परसराम प्रेम कमलेश पुष्पा पुत्रियॉ परसराम व सम्पो बेबा परसराम हि0ब0 हि01/3 जाति धाकड के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कमांक एफटीपी/1362821 भगवत पुत्र पप्पू निवासी 123 झण्डी वाली कोठी वार्ड नं04 हिण्डौन जिला करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 597482601565 भगवत पुत्र पप्पू निवासी झण्डी वाली कोठी वार्ड नं012 हिण्डौन जिला करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 133/9 भगवतलाल पुत्र पप्पूराम निवासी धाकड नगर झण्डी वाली कोठी हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति विकलांग प्रमाण पत्र संख्या 6383 दिनांक 17.08.1999 भगवत लाल पुत्र पप्पू के नाम तैयार किया गया है।

फोटो प्रति सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति आदेश कंमाक आरजे–एस–03855742 दिनांक 03.06.2013 भगवत पुत्र पप्पू निवासी झण्डी वाली कोठी वार्ड नं012 हिण्डौन जिला करौली ... से स्वीकृत हुई है।

फोटो प्रति बैंक पासबुक यूनियन बैंक शाखा हिण्डौन खाता संख्या 684602010001198 भगवत लाल धाकड ... पप्पूराम धाकड के नाम से जारी की हुई है।

फोटो प्रति भामाशाह कार्ड संख्या 9999एन 2डीजी00033 में भगवत पुत्र पप्पूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति गैस कनैक्शन संख्या पीजी06469 भगवत सिंह पुत्र पप्पू धाकड निवासी रेल्वे लाईन के पास हिण्डौन सिटी के नाम से जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.61 है0, 2467 रकबा 0.65 है0, 2468 रकबा 0.70 है0, 2480 रकबा 0.85 है0, 2481 रकबा 0.05 है0, 2482 रकबा 0.33 है0, 2483 रकबा 0.33 है0, 2488 रकबा 0.53 है0, 2489 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में भगवान पुत्र पप्पू जाति धाकड दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भगवत पुत्र पप्पू दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम भगवत होना प्रतीत होता है जबकि राजस्व रिकार्ड में भगवान दर्ज रिकार्ड है। जिसकी दुरूस्ती किये जाने में अप्रार्थी ने भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है तथा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि भगवान व भगवत एक ही व्यक्ति हैं। जिसकी प्रार्थीगण दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में कराने के अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2466 रकबा 0.61 है0, 2467 रकबा 0.65 है0, 2468 रकबा 0.70 है0, 2480 रकबा 0.85 है0, 2481 रकबा 0.05 है0, 2482 रकबा 0.33 है0, 2483 रकबा 0.33 है0, 2488 रकबा 0.53 है0, 2489 रकबा 0.49 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में खातेदार भगवान पुत्र पप्पू के स्थान पर भगवत पुत्र पप्पू समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 08.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner